जब सभा राजा चुनती थी: गण-संघ और आधुनिक मताधिकार

प्रकाशन: 27 नवंबर 2026

समाचार: 26 नवंबर 2026 | प्रकाशन: 27 नवंबर 2026

समाचार-संदर्भ: 26 नवंबर 2026 — संविधान दिवस। उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में संविधान के सभी 22 अनुसूचित भाषाओं के अद्यतन संस्करण जारी किए। अवसर पर 23 भाषाओं में प्रस्तावना का ऑनलाइन पाठ, 18 से 26 नवंबर तक संविधान क्विज़ और 24 से 26 नवंबर तक देश के 786 ज़िलों में 'विकसित भारत युवा संवाद' जैसे कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी पृष्ठभूमि में लोकतांत्रिक भागीदारी की जड़ों — प्राचीन गण-संघों से आधुनिक सार्वभौमिक मताधिकार तक — का अध्ययन परीक्षा की दृष्टि से प्रासंगिक है।

मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन पत्र-I (प्राचीन भारतीय इतिहास: महाजनपद, गण-संघ), पत्र-II (संविधान, लोकतंत्र एवं मताधिकार)

प्रिलिम्स: सामान्य अध्ययन: प्राचीन इतिहास (महाजनपद, गण-संघ व्यवस्था), भारतीय राजव्यवस्था (अनुच्छेद 325-326, संवैधानिक संशोधन)



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

26 नवंबर 2026 को देश ने संविधान दिवस मनाया। यह दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के अंगीकरण की स्मृति में वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस बार उपराष्ट्रपति ने संविधान के सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में अद्यतन संस्करण जारी किए और देशभर में प्रस्तावना पाठ, संविधान क्विज़ व युवा संवाद आयोजित हुए। जब 'हम, भारत के लोग' अपने लोकतंत्र और मताधिकार का उत्सव मनाते हैं, तो एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है — भारत में शासन में जन-भागीदारी की परंपरा कितनी पुरानी है, और वह आज के सार्वभौमिक मताधिकार से किस अर्थ में भिन्न थी? इसका उत्तर ईसा पूर्व छठी शताब्दी के महाजनपदों और उनमें से कुछ विशेष राज्यों — गण-संघों — में छिपा है।

परिचय: गण-संघ क्या थे

महाजनपद का अर्थ है बड़ा जनपद, और **जनपद** वह भूमि है जहाँ कोई जन (लोग, कुल या जनजाति) बस जाता है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में ईसा पूर्व छठी शताब्दी के आसपास **सोलह महाजनपदों** का उल्लेख मिलता है। इनमें से अधिकांश राजतंत्र थे, परंतु कुछ — जिन्हें **गण या संघ** कहा जाता था — भिन्न प्रणाली से चलते थे। गण और संघ शब्दों का भाव समूह या संघटन से है, अर्थात् ऐसा राज्य जहाँ सत्ता किसी एक राजा के बजाय एक समूह के पास थी। इन्हीं गण-संघों में **सभा और समिति** — अर्थात् सदस्यों की परिषद, जहाँ मामलों पर विचार-विमर्श होता था — निर्णय लेती थीं।

आज की तुलना समझने के लिए दो और शब्द आवश्यक हैं। **कुलीनतंत्र (oligarchy)** शासन का वह रूप है जिसमें सत्ता कुछ पुरुषों के समूह द्वारा चलाई जाती है। **वयस्क मताधिकार (universal adult suffrage)** वह सिद्धांत है जिसके अंतर्गत प्रत्येक वयस्क नागरिक — जाति, लिंग, धर्म, संपत्ति या शिक्षा के भेद के बिना — मतदान का अधिकार रखता है। गण-संघों और आधुनिक लोकतंत्र की तुलना इन्हीं शब्दों के स्पष्ट होने पर सटीक बनती है।



गण-संघ और आधुनिक मताधिकार | पीसीएस मंत्र

षोडश महाजनपद: पृष्ठभूमि

- **सूचियाँ और प्रमुख नाम:** बौद्ध और जैन ग्रंथों की सूचियों में कुछ अंतर है, परंतु वज्जि, मगध, कोसल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंति जैसे नाम प्रायः सभी में मिलते हैं।
- **राजतंत्र वाले राज्य:** अधिकांश महाजनपदों में राजा का शासन था और पद सामान्यतः वंशानुगत था। मगध (आज के बिहार का भाग), कोसल (उत्तर प्रदेश का भाग) और अवंति (मध्य प्रदेश का भाग) सबसे शक्तिशाली राज्यों में थे। राजा कर एकत्र करता, राजधानी के चारों ओर दुर्ग बनवाता और सेना रखता था।
- **गण या संघ:** कुछ महाजनपद — जैसे वज्जि और उसके पड़ोसी मल्ल — राजतंत्र नहीं थे। इनमें सत्ता कई पुरुषों द्वारा साझा की जाती थी, जिन्हें सामूहिक रूप से **राजा** कहा जाता था।
- **स्थिरता और स्रोत:** स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास की पुनर्रचना कठिन है; फिर भी इनमें से कुछ राज्य लगभग एक हजार वर्ष तक टिके रहे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जो प्रायः किलेबंद थी, और इसी दौर में पंच-मार्क मुद्राएँ प्रचलन में आईं।

गण-संघों में शासन कैसे चलता था

- **सभा और समिति की प्रमुखता:** वज्जि और मल्ल जैसे गण-संघों में सभा या समिति अधिक शक्तिशाली थी। महत्वपूर्ण निर्णय विचार-विमर्श से, और आवश्यकता पड़ने पर मतदान द्वारा लिए जाते थे।
- **राजा का चुनाव:** आश्चर्यजनक रूप से सभा के दायरे में राजा का चुनाव भी आता था, अर्थात् सत्ता केवल वंशानुगत उत्तराधिकार पर टिकी नहीं थी।
- **सामूहिक नियंत्रण:** कुछ उदाहरणों में, जैसे वज्जि संघ, राजा लोग भूमि जैसे संसाधनों पर संभवतः सामूहिक नियंत्रण रखते थे।
- **बुद्ध और महावीर का संबंध:** महावीर और बुद्ध दोनों ऐसे ही गणों से जुड़े थे।

कुलीनतंत्र या 'प्रारंभिक गणतंत्र': दो पाठ्यपुस्तकीय दृष्टिकोण

राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तकों में गण-संघों के लिए दो स्तर की व्याख्या मिलती है, और दोनों को साथ रखना ही सही समझ है:

- **कुलीनतंत्र का दृष्टिकोण:** कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक इन्हें कुलीनतंत्र कहती है, क्योंकि सत्ता पुरुषों के एक समूह द्वारा चलाई जाती थी — यह समूह समस्त जनता नहीं था। तुलना के लिए इतना ही काफी है कि रोमन गणतंत्र भी अपने नाम के बावजूद वस्तुतः कुलीनतंत्र ही था।
- **'प्रारंभिक गणतंत्र' का दृष्टिकोण:** कक्षा 7 की नई पाठ्यपुस्तक बताती है कि सभा के सदस्य शासक का चुनाव और प्रमुख निर्णय करते थे; ऐसे राज्य राजतंत्र नहीं थे और उनकी कार्यप्रणाली को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। विद्वान इन्हें **'प्रारंभिक गणतंत्र' (early republics)** कहते हैं — विश्व की सबसे प्रारंभिक व्यवस्थाओं में से एक।
- **संतुलित निष्कर्ष:** सामूहिक विचार-विमर्श और गैर-राजतांत्रिक संस्थाओं का होना एक तथ्य है, और भागीदारी का दायरा सीमित होना दूसरा तथ्य। अतः इन्हें न तो आधुनिक समावेशी लोकतंत्र कहना चाहिए और न यह कहना चाहिए कि सामूहिक निर्णय की परंपरा थी ही नहीं।

प्राचीन भागीदारी की सीमाएँ

- **भागीदारी पुरुषों के समूह तक:** पाठ्यपुस्तकों के अनुसार सत्ता पुरुषों के एक समूह — सामूहिक रूप से 'राजा' कहलाने वालों — के पास थी; सभा के सदस्य संभवतः कुल के बुज़ुर्ग थे। ये निर्णयकर्ता कोई सार्वभौमिक निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं थे।
- **अन्य वर्गों का उल्लेख नहीं:** पाठ्यपुस्तकों में सत्ता 'पुरुषों के समूह' के पास बताई गई है; स्त्रियों या अन्य वर्गों की भागीदारी का उल्लेख नहीं है।
- **लिखित गारंटी का उल्लेख नहीं:** उपलब्ध स्रोतों में नागरिकों के अधिकारों या शासन की उत्तरदायित्व की ऐसी किसी लिखित संवैधानिक गारंटी का उल्लेख नहीं मिलता — यह तुलना आज के संविधान के साथ करने पर स्पष्ट होती है।
- **'गणतंत्र' शब्द की सीमा:** इसलिए गण-संघों के लिए 'प्रारंभिक गणतंत्र' कहना एक ऐतिहासिक उपमा है; आधुनिक गणराज्य (republic) की तरह यहाँ न तो प्रत्येक वयस्क का मत था और न समानता की कोई गारंटी।

आधुनिक भारत: सार्वभौमिक मताधिकार और संविधान

- **प्रस्तावना:** संविधान 'हम, भारत के लोग' से शुरू होकर भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाता है और सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आश्वासन देता है।
- **अनुच्छेद 325:** प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य निर्वाचक-नामावली होगी और किसी व्यक्ति को केवल धर्म, मूलवंश (race), जाति या लिंग के आधार पर उसमें शामिल होने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।
- **अनुच्छेद 326:** लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के चुनाव **वयस्क मताधिकार** के आधार पर होंगे; प्रत्येक नागरिक, जो 18 वर्ष से कम आयु का न हो और संविधान या कानून के अंतर्गत अयोग्य न घोषित हुआ हो, मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार है।
- **61वाँ संवैधानिक संशोधन, 1988:** मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर **18 वर्ष** की गई (28 मार्च 1989 से प्रभावी)।
- **मूल भावना:** 'एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य' — भागीदारी अब कुल, वर्ग या संपत्ति का नहीं, नागरिकता का कार्य है।

गण-संघ और आधुनिक लोकतंत्र: प्रमुख अंतर

आधार	गण-संघ	आधुनिक भारतीय लोकतंत्र
भागीदारी का दायरा	पुरुषों का समूह (संभवतः कुल के प्रमुख)	प्रत्येक वयस्क नागरिक (18 वर्ष या उससे अधिक)
निर्णय की विधि	सभा/समिति में विचार-विमर्श, आवश्यकता पर मतदान	नियमित आम चुनाव और संसदीय प्रक्रिया
शासक का चुनाव	सभा के सदस्य राजा चुनते थे	जनता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रतिनिधि चुनती है
अधिकारों की गारंटी	लिखित संवैधानिक गारंटी का उल्लेख नहीं	मौलिक अधिकार और संविधान द्वारा गारंटीकृत
समानता	कुल-आधारित असमानता	'एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य'

आगे की राह

- संविधान दिवस केवल स्मरण का दिन नहीं, मताधिकार के प्रयोग और जागरूक नागरिकता के संकल्प का दिन है; प्रस्तावना पाठ, संविधान क्विज़ और युवा संवाद जैसी पहलें इसी दिशा में कदम हैं।
- गण-संघों का अध्ययन दिखाता है कि प्रारंभिक सामूहिक विचार-विमर्श की परंपरा को संविधान ने सार्वभौमिक भागीदारी का रूप दिया; इसे सुदृढ़ रखना प्रत्येक मतदाता की साझी ज़िम्मेदारी है।

निष्कर्ष

गण-संघ भारतीय उपमहाद्वीप में सामूहिक निर्णय-प्रक्रिया की प्राचीन अभिव्यक्तियों में से हैं — जहाँ सभा शासक चुनती थी और निर्णय बहस से होते थे। परंतु भागीदारी पुरुषों के समूह (संभवतः कुल के प्रमुख) तक सीमित थी। आधुनिक भारत का लोकतंत्र अनुच्छेद 325 और 326 के माध्यम से भागीदारी को प्रत्येक वयस्क नागरिक तक पहुँचाता है। परीक्षा की दृष्टि से सही समझ यही है — गण-संघों को आधुनिक लोकतंत्र कहना अतिशयोक्ति है, और उनकी सामूहिक परंपरा को नकारना अधूरा सत्य।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. षोडश महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. **कथन 1:** अधिकांश महाजनपदों में राजा का शासन था, परंतु कुछ गण या संघ के रूप में थे
2. **कथन 2:** गण-संघों में सत्ता कई पुरुषों द्वारा साझा की जाती थी, जिन्हें सामूहिक रूप से राजा कहा जाता था
3. **कथन 3:** महावीर और बुद्ध दोनों का संबंध ऐसे ही गणों से था

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

▼ **उत्तर और व्याख्या**

उत्तर: (d) 1, 2 और 3

व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। अधिकांश महाजनपद — जैसे मगध, कोसल और अवंति — राजतंत्र थे, परंतु वज्जि और मल्ल जैसे कुछ राज्य गण या संघ थे, जहाँ सत्ता कई पुरुषों द्वारा साझा की जाती थी और वे सामूहिक रूप से राजा कहलाते थे। महावीर और बुद्ध दोनों ऐसे ही गणों से जुड़े थे।

प्रश्न 2. गण-संघों की शासन-प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं:

कथन-I: वज्जि और मल्ल महाजनपदों में सभा या समिति अधिक शक्तिशाली थी और महत्वपूर्ण निर्णय विचार-विमर्श तथा आवश्यकता पड़ने पर मतदान से लिए जाते थे

कथन-II: इन महाजनपदों में राजा का पद सदैव वंशानुगत होता था

उपर्युक्त कथनों के संबंध में नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए:

(a) कथन-I सही है, परंतु कथन-II गलत है

(b) कथन-I गलत है, परंतु कथन-II सही है

(c) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं

(d) कथन-I और कथन-II दोनों गलत हैं

▼ **उत्तर और व्याख्या**

उत्तर: (a) कथन-I सही है, परंतु कथन-II गलत है

व्याख्या: कथन-I सही है: वज्जि और मल्ल में सभा या समिति को अधिक शक्ति थी; निर्णय विचार-विमर्श से और ज़रूरत पड़ने पर मतदान से होते थे। कथन-II गलत है: इन राज्यों में राजा का चुनाव भी सभा करती थी, अर्थात् पद वंशानुगत नहीं था — यही कारण है कि इन्हें राजतंत्र नहीं माना जाता।

प्रश्न 3. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं?

(a) अनुच्छेद 324

(b) अनुच्छेद 325

(c) अनुच्छेद 326

(d) अनुच्छेद 327

▼ **उत्तर और व्याख्या**

उत्तर: (c) अनुच्छेद 326

व्याख्या: अनुच्छेद 326 लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर कराता है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण देता है; अनुच्छेद 325 एक सामान्य निर्वाचक-नामावली की बात करता है और केवल धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी को उससे वंचित होने से रोकता है; अनुच्छेद 327 संसद को चुनाव संबंधी प्रावधान बनाने की शक्ति देता है। संविधान (61वाँ संशोधन) अधिनियम, 1988 से मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष हुई (28 मार्च 1989 से प्रभावी)।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. "प्राचीन भारत के गण-संघों को विद्वान प्रायः 'प्रारंभिक गणतंत्र' कहते हैं, फिर भी उनकी भागीदारी आधुनिक सार्वभौमिक मताधिकार से मौलिक रूप से भिन्न थी।" इस कथन की विवेचना कीजिए। (250 शब्द/15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में:

गण-संघ की परिभाषा और षोडश महाजनपदों का संदर्भ; 'प्रारंभिक गणतंत्र' कहने का आधार — सभा/समिति द्वारा विचार-विमर्श, मतदान और राजा का चुनाव।

मुख्य भाग में:

'प्रारंभिक गणतंत्र' के पक्ष में तथ्य: गैर-राजतांत्रिक व्यवस्था, सामूहिक निर्णय, वज्जि-मल्ल का उदाहरण, विश्व की प्रारंभिक व्यवस्थाओं में गिनती। सीमाएँ: भागीदारी पुरुषों के समूह (संभवतः कुल के प्रमुख) तक; पाठ्यपुस्तकों में स्त्रियों या अन्य वर्गों की भागीदारी का उल्लेख नहीं; लिखित संवैधानिक गारंटी का उल्लेख नहीं; कुलीनतंत्र की विशेषता। आधुनिक अंतर: अनुच्छेद 325-326, वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष की आयु (61वाँ संशोधन, 1988), 'एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य'।

निष्कर्ष में:

संतुलित मूल्यांकन: सामूहिक विचार-विमर्श की प्राचीन परंपरा को स्वीकारें, परंतु सार्वभौमिक भागीदारी संविधान की देन है; दोनों स्तरों को अलग-अलग समझना आवश्यक।

प्रश्न 2. गण-संघों की विचार-विमर्श परंपरा और आधुनिक भारतीय लोकतंत्र की संस्थाओं में निरंतरता और भिन्नता का मूल्यांकन कीजिए। (150 शब्द/10 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में:

गण-संघों की सभा-समिति परंपरा और आज की संसदीय प्रक्रिया — दोनों में चर्चा से निर्णय की अवधारणा।

मुख्य भाग में:

निरंतरता: विचार-विमर्श और बहुमत से निर्णय की अवधारणा। भिन्नता: भागीदारी का दायरा (कुलीन बनाम सार्वभौमिक), अधिकारों की संवैधानिक गारंटी, प्रतिनिधित्व की प्रणाली और लिखित संविधान की उपस्थिति।

निष्कर्ष में:

परंपरा से गौरव, परंतु संविधान से पूर्णता — यही संतुलित निष्कर्ष होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

▼ प्रश्न 1. क्या गण-संघों को आज के अर्थ में लोकतंत्र कहा जा सकता है?

नहीं। इनमें विचार-विमर्श और मतदान की प्रारंभिक प्रणाली थी और राजा का चुनाव सभा करती थी, इसलिए विद्वान इन्हें 'प्रारंभिक गणतंत्र' कहते हैं। परंतु भागीदारी पुरुषों के समूह (संभवतः कुल के प्रमुख) तक सीमित थी — न सार्वभौमिक मताधिकार था, न अधिकारों की संवैधानिक गारंटी। अतः आधुनिक लोकतंत्र नहीं, परंतु सामूहिक शासन की प्रारंभिक अभिव्यक्ति अवश्य।

▼ प्रश्न 2. बुद्ध और महावीर का संबंध गण-संघों से कैसे था?

पाठ्यपुस्तकों के अनुसार महावीर और बुद्ध दोनों ऐसे ही गणों से जुड़े थे।

▼ प्रश्न 3. भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब और कैसे हुई?

संविधान (61वाँ संशोधन) अधिनियम, 1988 द्वारा अनुच्छेद 326 में 'इक्कीस वर्ष' के स्थान पर 'अठारह वर्ष' किया गया; यह संशोधन 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ।

स्रोत

1. NCERT, कक्षा 12: भारतीय इतिहास के विषय, भाग-I, अध्याय 2 'राजा, किसान और नगर' (पृष्ठ 29-30)
2. NCERT, कक्षा 7: Exploring Society — India and Beyond, अध्याय 4 'New Beginnings: Cities and States'
3. प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस सूचना ब्यूरो: संविधान दिवस 2026, 26 नवंबर को मनाया जाएगा (25 नवंबर 2026)
4. प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस सूचना ब्यूरो: उपराष्ट्रपति ने संविधान दिवस पर 22 अनुसूचित भाषाओं में संविधान के अद्यतन संस्करण जारी किए (26 नवंबर 2026)
5. भारत का संविधान, अनुच्छेद 325 एवं 326 (इंडिया कोड, विधि एवं न्याय मंत्रालय)

संबंधित लेख

संवैधानिक देशभक्ति: संविधान को जेब से जन-मन तक

संविधान दिवस से सड़क तक: SIR विरोध में 25 दिन का आंदोलन